उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

642191

-1-

<u>विक्रय विलेख</u>

प्रतिफल की धनराशि	–	रु0 13,36,107/–
बाज़ारु मूल्य	–	रु0 5,03,000/–
अदा किये गये जनरल स्टाम्प	–	रु0 93,600/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – अरैल
3. ग्राम – मवैया उपरहार

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 19/9/08 मुद्रांक 25000/-

नाम सरकार कोलोनाइजर्स प्रा० लि० द्वारा अरविन्द कुमार

पता जय हिन्द कॉम्प्लेक्स द्वितीय तल अमीनाबाद लखनऊ

19/9/08

उप कोषाधिकारी

करछना, इलाहाबाद

1336/07

रजिस्ट्री शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	योग	शब्द लगभग
5000	20	5020	1000

श्री शंकरलाल उर्फ शंकरदास जायसवाल S/o चिरंजीलाल

निवासी 600/4 चक रघुनाथ नैनी

तहसील करछना जिला इलाहाबाद ने यह लेख आज दि० 19/9/08

समय 4 5 बजे कार्यालय उप-निबन्धक में

शंकरदास

उप निबन्धक

करछना इलाहाबाद

19/9/08

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु० 1336/07/- प्लेखानुसार

श्री शंकरलाल उर्फ शंकरदास जायसवाल

उक्त प्र०प० अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिव प्रसाद तिवारी अधिकृत हस्ताक्षरी सरकार कोलोनाइजर्स प्रा० लि०

ने की। प्रत्यभिज्ञान एस० पी० श्रीवास्तव

पुत्र बी० डी० श्रीवास्तव निवासी चन्द्रविहार इला०

करछना जिला इलाहाबाद

सुरेश तिवारी S/o शम्भू नाथ तिवारी

पंचायन कर्ता

उप निबन्धक

करछना इलाहाबाद

19/9/08

शंकरदास अरविन्द कुमार S.P. Srivastav सुरेश तिवारी

उप निबन्धक

19/9/08

(भाग 1)

स्तुत... / अथवा प्रार्थी द्वारा रक्खा जाने वाला)

क्रम संख्या A 114962

...थना-... प्रस्तुत करने का दिनांक 19-9-08

... या प्रार्थी का नाम शंकर ...

...कार

... धनराशि ...

...ट्रीकरण शुल्क

...तलिपिकरण शुल्क ... 1336/07

...रीक्षण या तलाश शुल्क

...मुख्तारनामा के अधिप्रमाणीकरण ... शुल्क

...कमीशन शुल्क

...अविध

...यात्रिक भत्ता

...6 तक का योग

...क वसूल करने का दिनांक

...नांक, जब लेख्य प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण-पत्र

...पस करने के लिए तैयार होगा

...जिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर 19-9-8

पी० एस० यू० पी० --04 निबंधन--7-6-2004--निबन्धन
प्रपत्र सं० 13--24,000 पुस्तकें (डी० टी० पी० /आफसेट)।

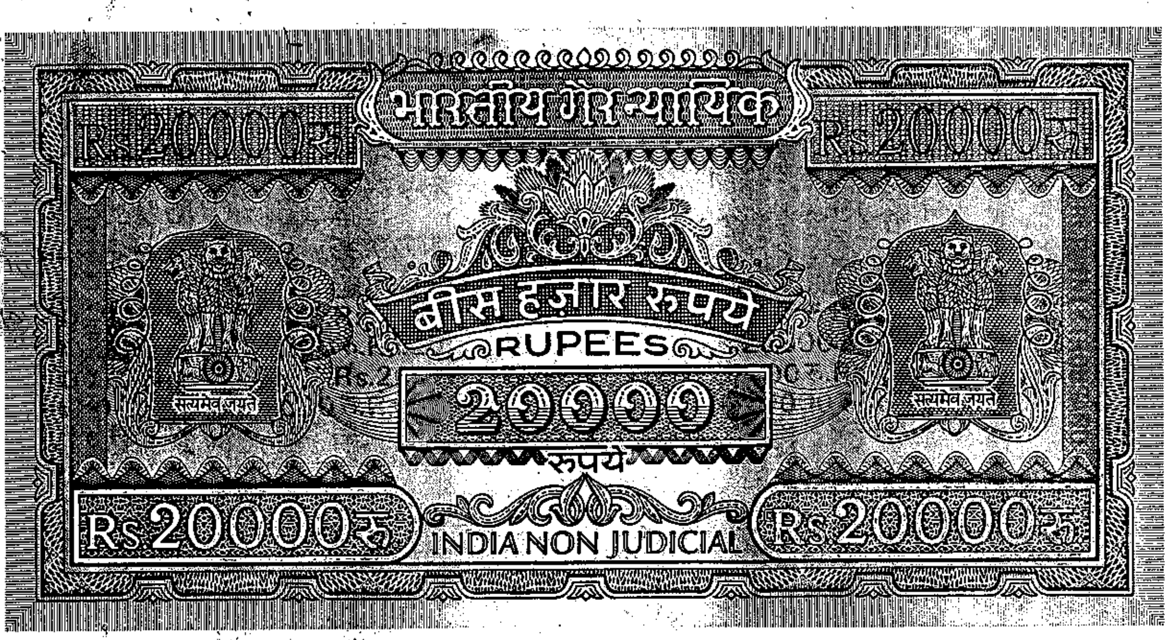

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 490205

-2-

4. सम्पत्ति का विवरण – खसरा संख्या 244 रकबा 0.0570 हे0 व 246क रकबा 0.5480 हे0 व खसरा नं0 253 रकबा 0.4110 हे0 कुल योग 1.0160 हे0 का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.5080 हे0 स्थित ग्राम–मवैया उपरहार, परगना–अरैल, तहसील–करछना, जिला–इलाहाबाद
5. मापन की इकाई – हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.5080 हे0
7. सड़क की स्थिति – मिर्जापुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक
8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि
9. पेड़ों की स्थिति – नहीं
10. बोरिंग/कुआं अन्य – कुछ भी नहीं है।

SATKAR COLONIZERS PRIVATE ...

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 15/5/08 मुद्रांक 20,000/-

नाम सरकार को मोबाइल्स प्रा० लि० द्वारा अरविन्द कुमार

पता जय हिन्द कम्प्लेक्स द्वितीय तल लालबाग लखनऊ

15/5/08

उप कोषाधिकारी
करछना, इलाहाबाद

दफ्तर सब रजिस्ट्रार करछना, जिला इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

489497

-3-

<u>चौहद्दी खसरा नं0 244</u>

उत्तर	: आराजी नं0 242
दक्षिण	: आराजी नं0 246
पूरब	: आराजी नं0 246
पश्चिम	: आराजी नं0 243

<u>चौहद्दी खसरा नं0 246 क</u>

उत्तर	: आराजी नं0 241 व 247
दक्षिण	: आराजी नं0 259 व 260
पूरब	: आराजी नं0 256 व 257
पश्चिम	: आराजी नं0 241 व 243 व 245

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कारागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 11/9/08 मूल्यांक 20,000/-

नाम सरकार कोलेज प्रसाद सिंह अरविन्द कुमार

पता जमानत कामतेश नगर लेबर कालोनी

उप रोकड़िया
करछना, इलाहाबाद 11/9/08

उत्तर प्रदेश

Rs15000 भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

15000रु. 15000रु.

पन्द्रह हजार रुपये RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

155174

-4-

<u>चौहद्दी खसरा नं0 253</u>

उत्तर	: आराजी नं0 251 व 252
दक्षिण	: आराजी नं0 256 व 274 व 279
पूरब	: आराजी नं0 279 व 280
पश्चिम	: आराजी नं0 254

प्रथम पक्ष की संख्या –2 : द्वितीय पक्ष की संख्या –1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
शंकर लाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल ग्राम 500/4 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद जिला इलाहाबाद।	:	सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी पता– जयहिन्द काम्प्लेक्स द्वितीय तल लालबाग लखनऊ [illegible] लखनऊ
व्यवसाय–कृषि	:	व्यवसाय– व्यापार/नौकरी

शंकरदास

SATKAR COLONIZERS PRIV... ...TED

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 11/9/08 धनराशि 15000/-

नाम सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा. लि. द्वारा अरविन्द कुमार

पता उप निबन्धक कार्यालय करछना

11/9/08
उप कोषाधिकारी
करछना, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 109997

यह विक्रय विलेख शंकर लाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौंजी लाल ग्राम 500/4 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद जिला इलाहाबाद जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है। एवं सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी पता- जयहिन्द काम्प्लेक्स द्वितीय तल लालबाग लखनऊ लखनऊ। जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 244 रकबा 0.0570 हे0 व 246क रकबा 0.5480 हे0 व खसरा नं0 253 रकबा 0.4110 हे0 कुल योग 1.0160 हे0 का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.5080 हे0 स्थित ग्राम-मवैया उपरहार, परगना-अरैल, तहसील-करछना, जिला-इलाहाबाद का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित खाता-खतौनी क्रम संख्या 00027 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रुप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में

शंकरदास

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 19/9/08 मुद्रांक 10,000

नाम सत्कार कोऑपरेटिव [illegible] द्वारा अरविन्द कुमार

पता जय हिन्द कॉम्प्लेक्स लिमिटेड लालबाग लखनऊ

19/9/08

उप कोषाधिकारी

करछना, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

16 SEP 2...

-6-

दर्ज हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख के द्वारा विक्रय कर रहा है, विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य किसी प्रकार को कोई ऋण नहीं लिया है। यदि ऐसा कोई ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है एवं विक्रेता को उक्त

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

स्टाम्प विक्रय की तिथि 16/5/07 क्र०सं० [illegible]

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

[illegible]

स्टाम्प की धनराशि– 1000/–

स्टाम्प विक्रेता ज्ञान चन्द्र गुप्ता

लाइसेन्स नं० 453

ला० की अवधि 1-4-07 से 31 [illegible]

तहसील परिसर तहसील करछना, इलाहाबाद

[illegible]

उत्तर प्रदेश

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

-7-

विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के विक्रय के फलस्वरुप कुल विक्रय मूल्य रु0 13,36,107/– (तेरह लाख छत्तीस हजार एक सौ सात रु0 मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस व्रिक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेंच दिया है एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखुबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 15/7/14 मुद्रांक 1000

नाम [illegible] अरविन्द कुमार

पता [illegible] करछना

15/7/14

उप कोषाधिकारी
करछना, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश

1000Rs.

19 SEP 2008

-8-

एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रुप में धारणएवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन, बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई माँग कर सकेगें और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या किसी कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारणक्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता व उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह अधिकार होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा विक्रेता की चल व अचल सम्पत्ति से ज़रिये अदालत वसूल कर लें उस स्थिति में विक्रेता व उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यहकि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि विकास प्राधिकरण इलाहाबाद तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0 तथा

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 1/1/88 मुद्रांक 1000/-

नाम [illegible] कोयो [illegible] जी [illegible] अरविन्द कुमार

पता [illegible]

[illegible]

उप रोकड़िया
करछना, इलाहाबाद

कोषागार करछना
उत्तर प्रदेश

500Rs.

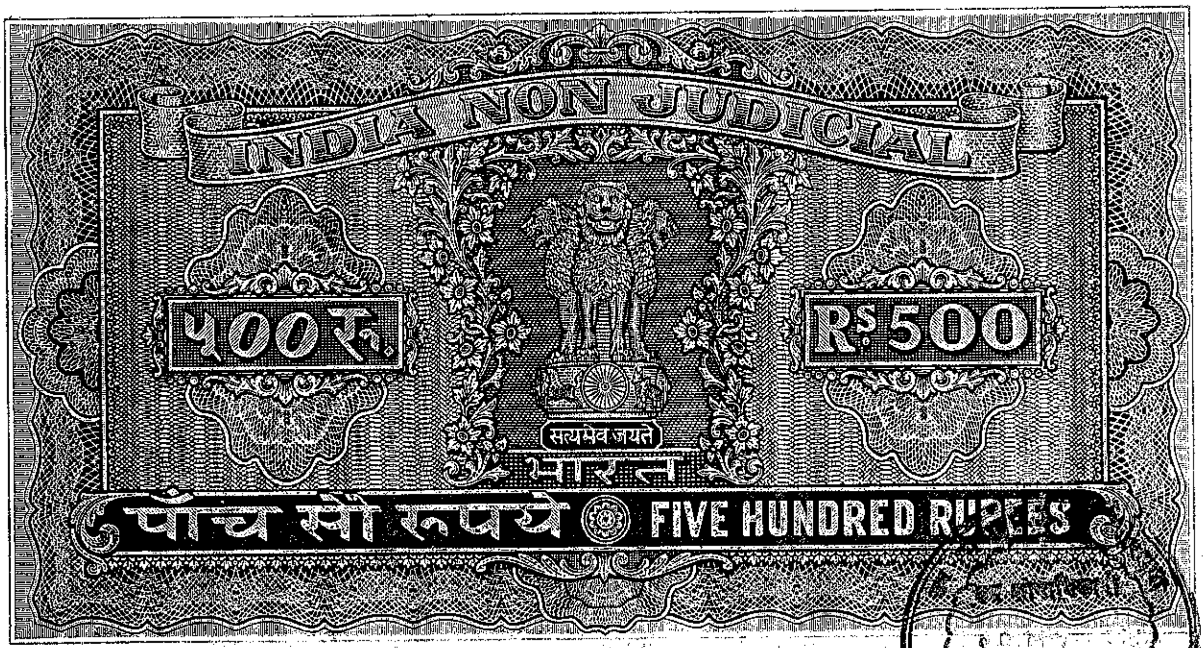

अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

यहकि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। यहकि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यहकि उपरोक्त खसरा नं0 ग्राम–मवैया उपराहार, परगना–अरैल, तहसील–करछना, जिला इलाहाबाद के अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसलिए निर्धारित सर्किल रेट 4,00,000 रु0 प्रति एकड़ की दर से विक्रीत भूमि 0.5080 हे0 की मालियत रु0 5,03000/– होगी।

चूंकि विक्रय मूल्य भूमि की बाजारु मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 93,600/– का स्टाम्प अदा किया

SATKAB COLONIZERS PRIVATE LIMITED

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 19/9/07 मुद्रांक 5001

नाम [illegible] द्वारा अरविन्द कुमार

पता [illegible]

[illegible] 9/9/07

उप कोषाधिकारी

करछना, इलाहाबाद

तहसीलदार करछना [illegible]

उत्तर प्रदेश

100Rs.

जा रहा है। यहकि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि उपयोग के लिए क्रय की जा रही है, भूमि में कोई इमारत आदि नहीं है तथा किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियाँ नहीं चल रही हैं तथा 200 मीटर के अर्द्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है। विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग, व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि मिर्जापुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जा रहा है। लिहाजा यह विक्रयपत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में स्वस्थ चित्त मन व बगैर किसी जोर दबाव के राजी व खुशी से क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

SATKAR COLONIZERS PRIV[illegible]

Authorised Signatory

उप कोषागार करछना, इलाहाबाद

दिनांक 10/1/07 मूल्यांक 100/-

नाम सत्कार को-ऑपरेटिव हाउसिंग सो० लि० द्वारा अरविन्दकुमार

पता [illegible] लखनऊ

[signature] 1/1/04

उप कोषाधिकारी

करछना, इलाहाबाद

रजिस्ट्रार करछना

परिशिष्ट भुगतान

विक्रेता को रु0 10,00,000/– द्वारा चेक संख्या–013796 दिनांकित 10.06.2008 व रु0 3,36,107/– द्वारा चेक संख्या–018467 दिनांकित 19.11.2008 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नैनी इलाहाबाद क्रेता को प्रदान किया गया है। जिसकी प्राप्ति को विक्रेता स्वीकार करता हैं। विक्रेता को क्रेता से कोई भी धनराशि लेना शेष नहीं है।

दिनांक – 19/09/08

विक्रेता

गवाह

1. S. P. Srivastav S/o V. D. Srivastav Chandan Bihar Allahabad

क्रेता

SATKAR COLONIZERS PRIVATE LIMITED

2.

टाइपकर्ता

(करुणाकर सिंह)

मसविदाकर्ता

(रावेन्द्र प्रताप सिंह)

~~(एडवोकेट)~~

रजिस्ट्रार करछना,
इलाहाबाद

प्रारुप अंगूठा निशानी

नाम शंकर दास अध्यापक ....

पता ....

बांए हाथ के अंगूलियों के निशान

दांए हाथ के अंगूलियों के निशान

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

नाम अरविन्द त्रिपाठी ....

पता ....

बांए हाथ के अंगूलियों के निशान

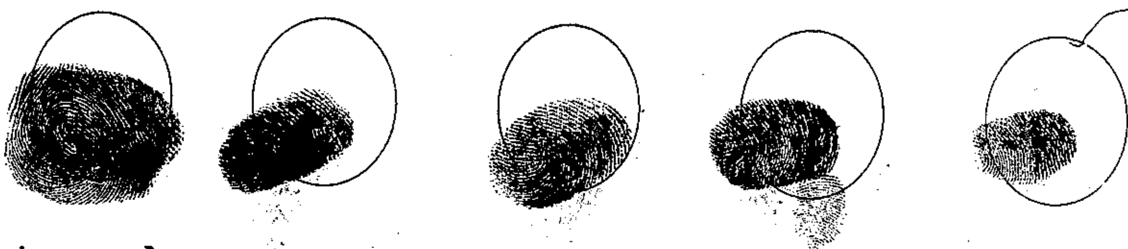

दांए हाथ के अंगूलियों के निशान

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

मौजा [illegible] [illegible]

२४५, २४६, 253 [illegible]

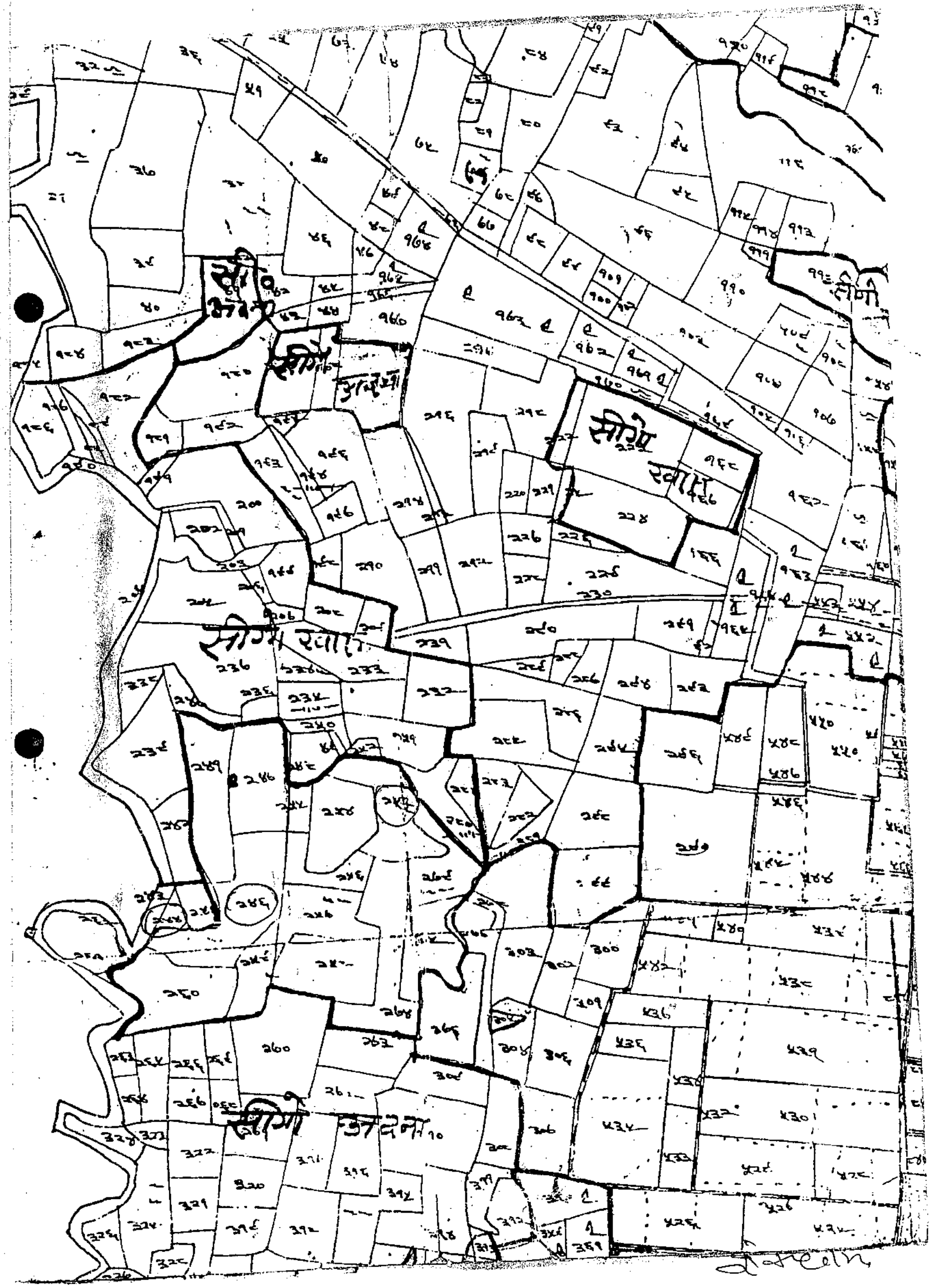

आज दिनांक 19/9/08

प्रति पुस्तक संख्या B [illegible] 1530

पृष्ठ 53/78 पर क्रम संख्या 4006

निबंधित किया गया।

उप निबंधक

करछना-इलाहाबाद

D-M-26 10/08

उप निबंधक करछना, जिला इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश

(41)

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 23050188012 ग्राम का नाम : मवैया उपरहार परगना : अरैल तहसील : करछना

जनपद : इलाहाबाद फसली वर्ष : 1415-1420 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00027	अशर्फीलाल	पुरुषोत्तम	नि. ग्राम	1385फ.	244	0.0570		1415फ.आदेश तह. करछना वा.स.1232/22.5.08 आ-स.244/0.057हे.246क/0.548हे.253/0.411हे.ल.60द से विक्रेता अशर्फीलाल पुत्र पुरूषोत्तम व गिरजाशंकर पुत्र रतनलाल नि.ग्राम का नाम निरस्त करके क्रेता ब्यू ब्यूटीफुल लैण्ड बेस प्रा.लि. नि.सी 32 चित्रकूट जयपुर राजस्थान द्वारा अधि.हस्ता.शिवकुमार सिंह नि.सरसंवा अर्जुन गंज लखनऊ का नाम बतोर स.भू दर्ज हो।13.6.08 1416फ.आदेश तह. करछना वाद स.2307/26.10.08 आ.न.244/0.057,246क/0.548,253/0.411 ल.60 ख से विक्रेता शंकर लाल जायसवाल पुत्र चिरौजी लाल नि.ग्राम चकरघुनाथ का नाम निरस्त करके क्रेता सत्कार कोलोनाइजर्स प्रा.लि. डवेलपर्स प्रा.लि.अधिकृत हस्ताक्षर अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिव प्रसाद तिवारी नि.जयहिन्दकम्पलेक्स लालबाग लखनउ का नाम वतौर वैनामा स.भू. दर्ज हो।21.1.09.	
	गिरिजा शंकर	रतनलाल	नि. ग्राम	1385फ.	246क	0.5480			
	उदयराज	मिश्रीलाल	नि. ग्राम	1385फ.	253	0.4110			
	गोरे	मिश्रीलाल	नि. ग्राम						
	दरोगा	मिश्रीलाल	नि. ग्राम						
	श्रीमती फूलकली	पुर्रा	नि. ग्राम						
	शंकर लाल जयसवाल	चिरौजीलाल जयसवाल	नि.500/4 चकरघुनाथ नैनी						
					कुल गाटे : 3	कुल क्षे : 1.0160	8.35		

31745 19-2-8

हस्ताक्षर

2/19/2009

F.N. 41

न्यायालय तहसीलदार करछना, इलाहाबाद

वाद संख्या 2307 / वर्ष–2007–08 धारा –34एल0आर0 एक्ट।

मौजा–मवैया उपरहार, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला इलाहाबाद

सत्कार कालोनाईजर्स प्रा0लि0 बनाम शंकर लाल

आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण वाद हल्का लेखपाल की ओर से रिपोर्ट जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 19.09.2008, के आधार पर वाद दर्ज होकर इश्तहार जारी किया गया जो बाद तामील शामिल पत्रावली है किसी कि ओर से कोई आपत्ति नही दाखिल की गयी है जिससे विदित होता है कि भूमि सीलिंग नजूल तथा पट्टे की जमीन नही है विक्रेता अनु0जाति का व्यक्ति नही है । मौके पर क्रेता का कब्जा व दखल है। वर्णित तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं हल्का लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरण रिपोर्ट स्वीकार किये जाने में कोई विधिक अड़चन नही प्रतीत होता है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा मवैया उपरहार, परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद खाता संख्या 27 गाटा संख्या 244 रकवा 0.057है0 व 246क रकबा 0.548है0 व गाटा संख्या रकवा 253 रकवा 0.411है0 लगान 60ख पर से विक्रेता शंकर लाल जायसवाल पुत्र चिरौंचीलाल निवासी ग्राम चकरघुमाथ नैनी परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद, का नाम निरस्त करके उसके स्थान पर क्रेता सत्कार कालोनाईजर्स प्रा0लि डेवलपर्स प्रा0 लि0 अधिकृति हस्ताक्षर अरविन्द कुमार तिवारी पुत्र शिव प्रसाद तिवारी निवासी–जयहिन्द कम्प्लेक्स, लालबाग लखनऊ, का नाम जरिए बैनामा दिनांक 19.09.2008, के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। परवाना जारी हो बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

दिनांक

26/10/08

(आशीष कुमार मिश्र)
तहसीलदार करछना
इलाहाबाद

विकय पत्र सं. 4006 दिनांक : 19.09.08

मैंने भूमि अधिग्रहण अधिकारी, इलाहाबाद की आख्या का पुनः परीक्षण किया, बैनामा पूर्णतः विधि अनुरूप है ।

(एस.के. सोलंकी)
भूमि अधिग्रहण अधिकारी
आर.ई.पी.एल. नोएडा
गौतमबुद्धनगर

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी, इलाहाबाद एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, नोएडा की आख्या का एवं आख्या के साथ संलग्न मूल विकय पत्र का विधि संगत अवलोकन/परीक्षण किया गया । मैं भूमि अधिग्रहण अधिकारीगण की आख्या से सहमत हूँ । बैनामा विधिक प्रकिया के अनुसार निष्पादित किया गया है ।

(रमेन्द्र त्रिपाठी)
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर
आर.ई.पी.एल. नोएडा
गौतमबुद्धनगर

महोदय,

विक्रय पत्र संख्या 4006 दि0 19.09.08

मैने ग्राम मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद के विक्रय पत्र सं0 4006 दि0 19.09.08 में वर्णित भूमि सं0 244 क्षे0 0.0570, 246क क्षे0 0.5480, 253 क्षे0 0.4110 कुल क्षे0 1.0160 का 1/2 भाग अर्थात 0.5080 हे0 की जांच उपलब्ध राजस्व अभिलेख से करके एक विस्तृत जांच आख्या तैयार किया गया है जो निम्नवत् है।

1.	विक्रेता का नाम	शंकरलाल उर्फ शंकरदास जयसवाल पुत्र चिरौजी लाल नि0 500/4 चक रघुनाथ नैनी।
2.	क्रेता का नाम	सत्कार कोलोनाइजर प्रा0लि0 अधि0हस्ता0 अरविन्द तिवारी पुत्र शिवप्रसाद तिवारी, जयहिन्द काम्पलेक्स, द्वितीय तल लालबाग, लखनऊ।
3.	विक्रेता एवं क्रेता की जाति	विक्रय पत्र के अनुसार दोनों सामान्य जाति के।
4.	भूमि की प्रकृति	कृषिक
5.	30 वर्ष तक के उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि की स्थिति	जो0च0आ045 खतौनी चकबन्दी के खाता सं0 68 में विकित भूमि बिन्देश्वरी, शिवमूरत, परसोत्तम, मिश्रीलाल पुत्रगण बिहारी के नाम दर्ज है। सन् 1386—1391 फ0 के खाता सं0 89 में सन्दर्भित भूमि पर उपरोक्तानुसार नाम दर्ज है। सन् 1392—1396 फ0 के खतौनी के खाता सं0 95 में सन्दर्भित भूमि पर बिन्देश्वरी, परसोत्तम, मिश्रीलाल पुत्रगण बिहारी चतुर्भुज, बृजलाल पुत्रगण शिवमूरत के नाम दर्ज है। सन् 1397—1402 फ0 की खतौनी के कमशः खाता सं0 15 में कामता प्रसाद, बृजमोहन, प्रभात कुमार पुत्रगण बिन्देश्वरी, मिश्रीलाल पुत्र बिहारी व अशर्फी लाल पुत्र परसोत्तम व गिरजाशंकर पुत्र रतनलाल व चतुर्भुज, बृजलाल पुत्रगण शिवमूरत के नाम दर्ज है। इसी प्रकार सन् 1403—1408 फ0 के खतौनी के खाता सं0 26 में सन्दर्भित भूमि पर उपरौक्तानुसार नाम दर्ज है। किन्तु खाता सं0 164 में अंकित आदेश के अनुसार गाटा सं0 244 क्षे0 0—5—0 (0.0570हे0) से बिन्देश्वरी पुत्र बिहारी का 1/4 अंश नगरीय सीलिंग में दर्ज होने का आदेश दर्ज है। सन् 1409—1414 फ0 के खतौनी के खाता सं0 27 में सन्दर्भित भूमि पर उदयराज, गोरे, दरोगा पुत्रगण मिश्रीलाल व फूलकली पत्नी पूरी व अशर्फीलाल पुत्र परसोत्तम व गिरजाशंकर पुत्र रतनलाल व चतुर्भुज पुत्र शिवमूरत व शंकरलाल जयसवाल पुत्र चिरौजी लाल जयसवाल नि0

		दरोगा पुत्रगण मिश्रीलाल व फूलकली पत्नी पूरी व भांकरलाल जयसवाल पुत्र चिरौजी लाल जयसवाल के नाम दर्ज है। इसमें चतुर्भुज पुत्र ि ावमूरत का भी नाम होना चाहिये। उनका नाम अंकित नही है। बैनामा के आधार पर विक्रेता का नाम निरस्त होकर क्रेता सत्कार कालोनाइजर प्रा0लि0 अधि0हस्ता0 अरविन्द तिवारी पुत्र ि ावप्रसाद तिवारी, जयहिन्द काम्पलेक्स, द्वितीय तल लालबाग, लखनऊ का नाम दर्ज हो चुका है।
6.	हस्तान्तरण योग्य है/नही	हस्तान्तरणीय (ट्रांसफरेबल) है।
7.	भारमुक्त प्रमाण पत्र (एनईसी) के अनुसार भूमि की स्थिति	भारमुक्त है।
8.	सीलिंग/ग्राम समाज में होने की स्थिति	किसी में दर्ज नही है।
9.	नामांतरण हो गया है या नही	नामांतरण हुआ है।
10.	अभियुक्ति	उपरोक्त विकय पत्र में विकेता का नाम विकित भूमि की जांच में सही पायी गयी। कोई त्रुटि नही है।

आख्या सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है।

(ए0 एन0 मिश्रा)
भूमि अधिग्रहण अधिकारी
आर0ई0पी0एल0, इलाहाबाद।